उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-139/2018/2456/92-2-2018-06(जॉच)/2012,

लखनऊ :: दिनांक:: 16 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात के कार्यकाल के दौरान डा0 अम्बेडकर ग्राम लाड़पुर पैठ एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम कपासी कला में वर्ष 2011-12 में कराये गये अधोमानक सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांचोपरान्त 1:6:12 लीन कांक्रीट व 1:2:4 सीमेंट कांक्रीट के स्थलीय गुणवत्ता नियन्त्रण परीक्षण निर्धारित मात्रा में न किये जाने, साइन बोर्ड न लगाये जाने तथा खराब कान्स्ट्रक्शन ज्वांइट को ठीक न कराये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-83/2017/ 117/92-2-2017-06(जांच)/2012, दिनांक 26.05.2017 द्वारा श्री विष्णु कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात सम्प्रति प्रखण्ड-शामली के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1292/92-2-2017-06(जांच)/2012, दिनांक 26.07.2018 तथा पत्र संख्या-3295/92-2-2017-06(जांच)/2012, दिनांक 14.12.2017 द्वारा श्री विष्णु कुमार अग्रवाल के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र एवं अनुपूरक आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र तथा अनुपूरक आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री विष्णु कुमार अग्रवाल को आरोप पत्र दिनांक 21.08.2017 तथा अनुपूरक आरोप पत्र दिनांक 29.12.2017 को तामील कराया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र का बचाव उत्तर दिनांक 13.10.2017 तथा अनुपूरक आरोप पत्र का बचाव उत्तर दिनांक 03.01.2018 को जांच अधिकारी को प्रेषित किया गया।

3- जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 17.03.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल-4 आरोपों (अनुपूरक आरोप सहित) में से किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया, परन्तु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 अम्बेडकर ग्राम लाड़पुर पैठ एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम कपासी कला में वर्ष 2011-12 में कराये गये सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में खराब कान्स्ट्रक्शन ज्वाइन्टस बनाये जाने के लिए श्री अग्रवाल को दोषी पाया गया, जिसके क्रम मे उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1653/92-2-2018-06(जांच)/2012, दिनांक 29.06.2018 द्वारा श्री अग्रवाल को अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो उनके पत्र दिनांक 29.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री विष्णु कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम लाड़पुर पैठ एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम कपासी कला में वर्ष 2011-12 में कराये गये सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में खराब कान्स्ट्रक्शन ज्वाइन्टस बनाये जाने के लिए दोषी हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in